

प्ररूप - 2

[नियम 8 (7)]

उस माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की वचनबद्धता जिसे जांच के लंबन के दौरान अंतरिम अभिरक्षा दी गई है।

मैं _____ (नाम) मकान नं. गली _____ गांव/शहर _____ जिला _____ राज्य _____ का निवासी, यह घोषणा करता हूं कि मैं _____ (बालक का नाम) आयु _____ का उत्तरदायित्व बोर्ड के आदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अधीन लेने को तैयार हूँ :-

1. कि मैंने स्वयं की, सही, प्रामाणिक पहचान तथा पते के प्रमाण उपाबद्ध कर दिए हैं।
2. कि मैं जब कभी अपेक्षित होगा, बोर्ड के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की वचनबद्धता देता हूँ।
3. कि जितने समय तक बालक मेरी अभिरक्षा में रहेगा उसके कल्याण और उसकी शिक्षा के लिए सर्वोत्तम करूँगा और उसके रख-रखाव के लिए उपयुक्त उपबंध करूँगा।
4. कि उसकी बीमारी की स्थिति में, उसे नजदीकी अस्पताल में उपयुक्त चिकित्सा जांच दिलवाई जाएगी और स्वस्थता प्रमाण पत्र के साथ उसकी रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
5. कि मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूँगा कि बालक किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार/उपेक्षा/शोषण के अधीन नहीं होगा।
6. कि यदि उसके आचरण के लिए आगे पर्यवेक्षण देखरेख अथवा संरक्षण की जरूरत होगी तो बोर्ड को तुरंत सूचित करूँगा।
7. कि यदि बालक मेरी निगरानी अथवा नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो मैं बोर्ड को तत्काल सूचित करूँगा।

.....20 के.....दिन

वचनबद्धता निष्पादित
करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर